श्रमिक जनता संघ

स्थापना : 1966, रजि. पं. 5073

(हिन्द मजदूर सभा से संलग्न)

मुख्यालय पता: हाजी हबीब बिल्डिंग.'ए' विंग.रूम नं. 29-30 पहला माला 182, नायगांव क्रॉस रोड, दादर (पूर्व), मुंबई - 400014

मध्यप्रदेश कार्यालय C/O श्याम भदाणे ग्राम मगरखेडी, पो. सत्राटी, तह. कसरावद, जिला. खरगोन, 451660 मो॰ 9713795095

जनरल सेक्रेटरी: श्री.जगदीश खैरालिया shramikjanatasangh17@gmail.com• अध्यक्ष: सु.श्री.मेधा पाटकर

दिनांक -

- **सेंचुरी कंपनी के 1000 श्रमिकों को बेरोजगार, बेघरबार नहीं कर सकती|**
- **VRS देकर कंपनी बेचने में दूसरी बार हो रही मनमानी|**
- **कोर्ट के आदेश, कानून और संविधान का पालन करें बिरला समूह|**

सेंचुरी की यार्न डेनिम मिल्स के 1000 श्रमिक और कर्मचारी पिछले तीन सालों से, अभूत एकजुटता के साथ संघर्षरत है| श्रमिकों ने औद्योगिक न्यायालय में साबित किया कि सेंचुरी की मिल्स वेयरइट ग्लोबल कंपनी को बेचने का अनुबंध गैरकानूनी था| सेंचुरी के उच्च न्यायालय में भी हार होने के बाद वह बिक्रीनामा उन्हें रद्द करना पड़ा| श्रमिकों ने कुछ लाख रु. का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नकारने पर सेंचुरी के उपाध्यक्ष श्री डालमिया जी ने स्वयं इंदौर आकर श्रमिकों की संस्था को 1 रु. की नाममात्र राशि पर दोनों मिल्स बहाल करके उनसे चलाने देने का प्रस्ताव रखा| इस प्रस्ताव पर श्रमिक एकता के साथ, पूर्ण तैयारी, जानकारों की सलाह आदि के बाद, सत्याग्रह आंदोलन चलाते हुए, मिल्स चलाने के लिए लेना स्वीकृत किये| पिछले तीन सालों से आज तक 90% श्रमिकों ने, 'श्रमिक जनता संघ' की युनियन की सदस्यता स्वीकार कर 'हमें VRS नहीं रोजगार चाहिए' 'कंपनी नहीं करें मनमानी| श्रमिकों ने मिल चलाने की ठानी' यही संकल्प जाहीर किया|

इस प्रक्रिया में शुरुआत में श्रमिकों के बहुमत और मेधा पाटकर जी के नेतृत्व को स्वीकार चुके यूनियंस, AITUC(आयटक), INTUC (इंटक) ने भी भारतीय मजदूर संघ (BMS) के साथ जुड़कर रोजगार के बदले VRS की मांग की| इन तीनों और कामगार एकता – चारो संगठनों के मिलकर 10% ही सदस्य (वह भी किसी अधिकृत सदस्यता, ऑडिट आदि के बिना) होते हुए, कोई अधिकार सेंचुरी की इन मीलों में नहीं रहा, इस पर रजिस्ट्रार (श्रमिक संगठन) से उन्हें नोटीस दी गई और श्रमिक जनता संघ को सेंचुरी में श्रमिक संगठन चलाने की मंजुरी|

सेंचुरी कंपनी ने चार यूनियन्स के एक पत्र का फायदा उठाकर मिल्स श्रमिकों द्वारा चलाने के प्रस्ताव पर अमल नहीं किया| लेकिन श्रमिकों ने अपनी एकता और तीन सालों से

सत्याग्रही आंदोलन तथा क्रमिक अनशन जारी रखते हुए सेंचुरी से मंजूर करवाया कि कंपनी हमारी बहुसंख्यक यूनियन से ही संवाद करेगी, अन्य किसी यूनियन से नहीं|

कोई संवाद या पूर्वसूचना के बिना सेंचुरी कंपनी ने अब VRS के तहत कुछ 3.5 से 5 लाख रु. तक श्रमिक को, 10 से 25 सालों तक बिरला कंपनी में कार्य करने बाद, नगद राशि देकर कंपनी बेचने का निर्णय जाहीर किया है|

मिल्स इतने साल, घाटे का कारण देकर बंद राखी, वह भी कानूनी उल्लंघन के साथ! सर्वोच्च न्यायालय तक के आदेश के कारण करीबन 900 श्रमिक सालों तक मिल्स बंद रखने बाद आदित्य बिड़ला, कुमार मंगलम बिडला आदि की सेंचुरी टेक्टाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (CTIL) का वार्षिक नगद मुनाफा सैकड़ों करोड़ों का होते हुए भी मिल्स में पूंजी निवेश के साथ, मिल्स चलाना, रोजगार सुरक्षित रखना क्यों नहीं करती है सेंचुरी? कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण प्रस्ताव क्यों? श्रमिक संगठनों को भी VRS की नगद राशि से रोजगार का अधिक महत्त्व नहीं समझता है, यह कैसे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कौंसिल जो निजीकरण और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है, वह कंपनी की इस हरकत के खिलाफ क्या आवाज उठाएगी? क्या श्रमिकों को मालिकाना हक दिलाने के लिए तथा जीने का, आजीविका का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए श्रमिकों का साथ देगा हर जनसंगठन?

सेंचुरी के श्रमिकों ने बहुसंख्य ताकत के साथ आज फिर व्यक्त किया है, अपना हक और उसे हासिल करने का संकल्प|

सेंचुरी कंपनी ने गेट पर पुलिस बिठाकर, VRS 13 जुलाई के पहले लेकर कंपनी ने दिये स्टाफ क्वार्टर्स और श्रमिकों के मकान खाली करवाने की धमकी वजा नोटीस देना अन्याय ही नहीं, अत्याचार होगा, जिस पर पुनर्विचार किया जाए| श्रमिकों का संघर्ष, रोजगार याने आजीविका के साथ जीने का अधिकार के लिए है और जारी रहेगा|

ज्योति भदाने **संजय चौहान** **राजेश खेते** **राजकुमार दुबे** **जगदीश खैरालिया**